

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी अशोकनगर, (म.प्र.)
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 71/17
संस्थित दिनांक 30.03.17

1. त्रिलोक सिंह पुत्र चंदन सिंह आयु 53 वर्ष
2. गुड्डी पत्नि त्रिलोक सिंह आयु 49 वर्ष
3. जुगराज पुत्र प्यारेलाल आयु 80 वर्ष
4. विनीता पत्नि लाखन सिंह आयु 32 वर्ष
निवासी ग्राम चुरारी थाना चंदेरी जिला
अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र
चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी/अभियोजक

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा :- श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
 प्रत्यर्थी/अभियोजन द्वारा :- श्री राजपूत अपर लोक अभियोजक ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1. श्री साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 364/2007 में घोषित आलोच्य निर्णय दिनांक 20.03.17 द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 324/34 एवं 323/34 भादवि हेतु क्रमशः 06 एवं 03 माह के सश्रम कारावास और 500/— तथा 200/— रुपये के अर्थदंड से उसके व्यक्तिकम में क्रमशः 15 दिवस और 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास भुगतने एवं सभी दंडादेश एकसाथ भुगताये जाने का दंडादेश अधिरोपित किया है, जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374“3” दंप्रसं. प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थीगण को इसमें इसके पश्चात् अभियुक्तगण संबोधित किया जायेगा।

2. प्रकरण में विशिष्टतः कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।
3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोगी दुर्गाबाई अ.सा.3 ने भानूप्रताप के साथ उपस्थित होकर पुलिस थाना चंदेरी पर दिनांक 14.06.07 को 11 बजे सुबह कारित घटना के संबंध में उसी दिनांक को अभियुक्तगण को नामित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित करायी कि, लगभग 11 बजे अभियोगी जब अपने घर से सरवैया बाबू को सिंचाई के पैसे जमा कराने चंदेरी आ रही थी और जैसे ही वह त्रिलोक के मकान के सामने पहुंची वहां मोड़ा मौड़ी खेल रहे थे, तो अभियोगी को एक ईंट का टुकड़ा लगा, इस पर उसने त्रिलोक की लड़की को देखकर ईंट पत्थर फेंकने के लिए कहा तो त्रिलोक ने आकर उसे मां बहन की गालियां दी और उससे कहा कि अब वह उसे मारेगा और इसके पश्चात् त्रिलोक ने कुल्हाड़ी से उसे सिर में चोट पहुंचायी जिससे खून निकल आया और जुगराज ने लाठियों से मारपीट कर सिर में तथा बायीं तरफ भुजा और बांये पैर के घुटने के पास और दाहिने कुल्हे में चोटें पहुंचायी, जिससे खून निकल आया और सूजन आयी। गुडडीबाई और लाखन की अनाम औरत ने अभियोगी को जमीन पर पटककर खचोर दिया और गुडडीबाई ने लोढ़ा की मारी, जो उसके दाहिनी आंख के पास लगकर सूजन आ गयी। मौके पर मौजूद रामचरण हरिजन और सानी यादव ने घटना को देखा। मारपीट में अभियोगी के पैसे भी गिर गये और जब वह रिपोर्ट करने आने लगी तो उसे रोककर बोले कि रिपोर्ट करने थाने पर गयी तो जान से मारकर फेंक देंगे।
4. अनुसंधान के प्रक्रम पर अभियोगी का मेडीकल परीक्षण प्रदर्श पी 3 कराते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 अंकित किया गया। अभियोजन साक्षीगण आदि के कथन अंकित कर अभियुक्तगण का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 6 एवं 7 अभिलिखित कर उनकी गिरफ्तारी पश्चात् प्रदर्श पी 8 एवं 9 के जमानत मुचलका प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अनुसंधान की कार्यवाही संपन्न होने पर अभियोग पत्र विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323/34, 324/34, 506बी भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, उन्हें असत्य फसाया जाना अभिकथित कर अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना अभिकथित कर किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण न्यायालय के समक्ष अंकित नहीं कराया गया है।
6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को वर्तमान निर्णय की कंडिका 1 में

वर्णित दंडादेश अधिरोपित किया, उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

7. **अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** प्रथम सूचनारिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में चक्षुदर्शी साक्षीगण के रूप में रामचरण और ज्ञान सिंह का नाम लेखबद्ध कराया गया है। रैनाबाई, मिथलेशबाई व उदल सिंह के नामों का उल्लेख नहीं है। उक्त तीनों साक्षीगण के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है उक्त तथ्यों पर ध्यान आकर्षित नहीं कर, विधिक त्रुटि कारित की गयी है। स्वतंत्र साक्षीगण ज्ञानीसिंह व रामचरण ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभियोगी ने घटना का समय 14 जून 2007 के 11 होना कथित कर थाने पर सूचना उसी दिनांक को साढ़े तीन बजे देना और अभियोगी को मेडीकल परीक्षण के लिए साढ़े चार बजे भेजना दर्शित किया है और उसका मेडीकल परीक्षण होने पर चिकित्सक ने यह चोट 24 घंटे के अंदर की बतायी है और हर तीन घंटे में चोटों की प्रकृति बदली है, जिसके हिसाब से चोट अधिकतम 12 घंटे के भीतर की हो सकता थी। स्पष्ट है कि चोटें घटना के पहले की थी जिस पर विचारण न्यायालय ने विचार नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है। अभियुक्तगण ने दस वर्ष तक प्रकरण का सामना किया है जुगराज सिंह 80 वर्ष का तथा त्रिलोक सिंह व गुड्डीबाई अर्धे आयु है। जमीन की रंजिश को लेकर उन्हें असत्य फसाया गया है। अतः अपील स्वीकार विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 20.03.2017 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

8. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि:-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ? "यदि हां तो"
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

9. विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन ने शिवमंगल सिंह सैंगर अ.सा.1, मिथलेश यादव अ.सा.2, स्वयं अभियोगी दुर्गाबाई अ.सा.3, रैनाबाई अ.सा.4, उदल सिंह अ.सा.5, डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ अ.सा.6 ज्ञान सिंह अ.सा.7 रामचरण अ.सा.8, मिटठूलाल अ.सा.9 का अभिकथन कराया गया है।

10. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर अपील मेमो में अभिवाचित तथ्यों को ही अपने तर्क में अवलंबित किया है जबकि अभियोजन की ओर से तर्क व्यक्त किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेखगत साक्ष्य का उचित साक्ष्य मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को सिद्धदोष पाते हुए उचित दंडादेश अधिरोपित किया है।

11. अभियोगी/आहत दुर्गाबाई अ.सा.3 मुख्य परीक्षण में अभिकथित तथ्यानुसार जब वह अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 03.05.16 से लगभग आठ साढ़े आठ वर्ष पूर्व रात के समय बैल लेकर खेत पर जा रही थी, तब जुगराज और त्रिलोक उसे पुलिया के पास मिले थे और जब उसने गाली देकर कहा कि वह अपने जानवर बांधने आयी है, तब अभियुक्त जुगराज ने पैर व पीठ में लाठी मारी थी और अभियुक्त त्रिलोक ने सिर में बांयी तरफ कुल्हाड़ी उसके सिर में बांयी तरफ मारकर उपहति कारित की थी, जिससे उसे टांके आये थे। यह घटना उसके खिरियान की है।

12. अभियोगी दुर्गाबाई प्रश्नगत घटना को अपने खेत पर जाते समय अपने खिरियान में अभियुक्तगण जुगराज व त्रिलोक द्वारा कारित किये जाने का तथ्य प्रकट करती है, अर्थात् उक्त प्रश्नगत घटना के समय अन्य अभियुक्तगण विनीताबाई गुड्डीबाई मौके पर मौजूद होना अभियोगी के कथन से ही प्रकट नहीं हो रहा है।

13. सामान्य आशय उद्भूत होने के संबंध में या तो अभियुक्तगण के मध्य किसी अपराध में सहभागिता करने हेतु मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना चाहिए अथवा यदि ऐसा पूर्व मिलन नहीं हुआ है तब मौके पर उनके हाव भाव या आचरण से तत्काल उनके मध्य सामान्य आशय निर्मित होने का तथ्य प्रमाणित किया जाना चाहिए।

14. जहां दुर्गाबाई के कथनानुसार प्रश्नगत घटना के समय वह बैल लेकर खेत पर जा रही थी तब उसे जुगराज और त्रिलोक मिले थे तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण विनीताबाई और गुड्डीबाई वहां मौजूद थी ही नहीं और यदि उस समय अभियोगी के कथनानुसार जुगराज और त्रिलोक ने अभियोगी को क्रमशः लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट की थी, तो गुड्डीबाई और विनीताबाई का उस समय जुगराज और त्रिलोक सिंह से संगमत् होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और ऐसी स्थिति में उन्हें जुगराज या त्रिलोक सिंह द्वारा किये गये किसी कृत्य हेतु सामान्य आशय के आन्वयिक दायित्व के अधीन नहीं माना जा सकता।

15. न्याय दृष्टांत जावेद आलम बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और अन्य 2009 ए आई आर सु.को. वीकली 3918 तथा जहूर और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी. ए.आई. आर. 2011 सु.को. 2501 तथा सुदीप कुमार सेन उर्फ विल्टू बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और अन्य ए आई आर 2016 सु.को. 310 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन उपबंधित सामान्य आशय के सिद्धांत की विशद व्याख्या कर यह मार्गदर्शक विधि अभिकथित की है कि धारा 34 भादवि के अधीन उपबंधित सामान्य आशय का सिद्धांत सिर्फ साक्ष्य का नियम है और यह सारभूत

अपराध को निर्मित नहीं करता और ऐसा आशय मामले के तथ्यों के प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही परिस्थितियों से उद्भूत होना चाहिए। बहुदा सामान्य आशय का प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं होती ।

16. उक्त परिस्थितियों उक्त न्याय दृष्टांतों के अधीन यदि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किया जाये तो विनीताबाई और गुड्डीबाई का प्रश्नगत घटना के समय मौके पर मौजूद होने का तथ्य अभियोगी के कथन से ही प्रकट नहीं है तब उनके मध्य जुगराज एवं त्रिलोक सिंह से संगमत् होकर सामान्य आशय निर्मित किया जाना भी उक्त परिस्थिति में अभियोगी के कथन से ही प्रमाणित नहीं है। उक्त तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए स्वयं अभियोगी दुर्गाबाई अ.सा.3 अपने मुख्य परीक्षण में ही यह तथ्य प्रकट करती है कि जब वह सिंचाई के पैसे जमा कराने अपने घर से चंदेरी जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक बच्चे ने छाती में पत्थर मार दिया और यह बात जब उसने बच्ची के घर जाकर बतायी तब घर पर उपस्थित विनीताबाई और गुड्डीबाई से कहा तो उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया था। अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में जिस घटना को अभियोगी ने अंकित कराया है उस घटना के तारतम्यता के संबंध में भी अभियोगी के अभिकथन के परिप्रेक्ष्य में ही अभियुक्तगण विनीताबाई एवं गुड्डीबाई द्वारा अभियोगी को मारपीट किये जाने हेतु जुगराज व त्रिलोक सिंह से संगमत् होकर सामान्य आशय निर्मित करना प्रकट नहीं होता न ही विनीताबाई या गुड्डीबाई द्वारा अभियोगी दुर्गाबाई को मारपीट किये जाने का तथ्य ही प्रकट होता है।

17. मुख्य परीक्षण में अभियोगी अपने कथन को अतिरंजन कर अभिकथित करती है कि जब वह पत्थर मारने वाली बात बताये त्रिलोक के घर गयी थी तो घर पर त्रिलोक गुड्डीबाई, व विनीताबाई ने उसकी हाथ पैरों से मारपीट की थी। एक ओर तो अभियोगी मुख्य परीक्षण में विनीताबाई गुड्डीबाई द्वारा उसे डांट कर भगा देने तथ्य कथित करती है और वहीं दूसरी ओर अतिरंजित कथन कर त्रिलोक, गुड्डीबाई और विनीताबाई द्वारा उसे हाथ पैरों से मारपीट करने का विरोधाभासी कथन करती है जो अभियोगी के कथन के आलोक में ही अभियुक्तगण के मध्य सामान्य आशय की विद्यमानता को प्रमाणित करने वाला तथ्य नहीं है और न ही यह तथ्य अभियुक्तगण गुड्डीबाई और विनीताबाई द्वारा अभियोगी दुर्गाबाई को मारपीट करने के तथ्य को ही प्रमाणित करने वाला तथ्य है।

18. इसके अतिरिक्त साक्षी रैनाबाई के कथनानुसार ही प्रकट होता है कि जब तक वह घटना स्थल पर पहुंची तब तक झगड़ा हो चुका था और त्रिलोक के अलावा और किसी ने घटना की हो, उसे जानकारी नहीं है। अर्थात् यह साक्षी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और इसने घटना को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार करती है कि उसने मारते हुए किसी को नहीं देखा है।

19. साक्षी मिथलेश यादव अभियोगी के कथन से विरोधाभासी कथन

अभिकथित कर अभियुक्त त्रिलोक द्वारा आकर उसके मां के सिर पर माथे पर कुल्हाड़ी मारना इसके बाद माखन और उसकी बड़ी बहू का आना इसके बाद माखन, त्रिलोक, और उसकी बहू गुड्डीबाई द्वारा अपनी मां दुर्गाबाई को घसीटते हुए ले जाना कथित करती है प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी यह तथ्य प्रकट करती है कि उनका आरोपीगण से जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। यह साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में नामित नहीं है। अभियोगी दुर्गा बाई अभियुक्त त्रिलोक द्वारा उसे कुल्हाड़ी से चोट मारना कथित करती है, जबकि साक्षी मिथलेश यादव अ.सा.2 अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं की मां को सिर में दाहिनी तरफ चोट आना और त्रिलोक सिंह द्वारा उसकी मां को लाठी मारना विरोधाभासी कथन के रूप में कथित करती है। साक्षीगण ज्ञान सिंह अ.सा.7, रामचरण अ.सा.8 अभियोजन प्रकरण का समर्थनकारी अभिकथन मुख्य परीक्षण अथवा सूचक प्रश्न में अभिकथित नहीं करते।

20. साक्षी उदल सिंह अभियोगी के कथन के विपरीत विरोधाभासी कथन इस तथ्य के रूप में अभिकथित करता है कि जब उसकी मां त्रिलोक के घर पर बच्चों द्वारा ईंट मारने की बात कहने गयी तो गुड्डीबाई त्रिलोक सिंह व बबीताबाई वहां मिले और उनका वहां आपस में विवाद हुआ तो त्रिलोक सिंह ने उसकी मां को लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारा और गुड्डीबाई व विनीता उसे खींचकर रास्ते की ओर ले गये।

21. गुड्डीबाई और विनीताबाई द्वारा अभियोगी दुर्गाबाई को मारपीट किये जाने के तथ्य के संबंध में यह साक्षी कोई स्पष्ट अभिकथन मुख्य परीक्षण में कथित नहीं करता और प्रश्नगत घटना के समय स्कूल में मौजूद होने के तथ्य विषयक अभिकथन प्रकट कर स्वयं को प्रश्नगत घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होने के तथ्य को प्रकट करता है। अभियोगी दुर्गाबाई के अतिरिक्त साक्षी मिथलेश यादव अ.सा.2, रैनाबाई अ.सा.4, व उदल सिंह अ.सा.5 अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी को मारपीट किये जाने के तथ्य के संबंध में मौन है और उक्त साक्षीगण के कथन में भी परस्पर विरोधाभास विद्यमान होकर अभियुक्तगण गुड्डीबाई और विनीताबाई द्वारा अपराध कारित किये जाने के तथ्य के संबंध में उक्त साक्षीगण के परस्पर विरोधाभासी अभिकथन उक्त अभियुक्तगण के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सत्यता को इस विषयक प्रमाणित नहीं करते कि उक्त अभियुक्तगण ने अभियुक्त त्रिलोक से संगमत होते हुए अभियोगी दुर्गाबाई को स्वेच्छया कोई उपहति कारित की थी न ही स्वतंत्र साक्षीगण ज्ञान सिंह अ.सा.7 एवं रामचरण अ.सा.8 के कथन से ही ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि उक्त अभियुक्तगण का अभियुक्त त्रिलोक से कोई आशय, सामान्य आशय के रूप में अभियोगी को कोई उपहति कारित करने विषयक निर्मित हुआ था अथवा उक्त अभियुक्तगण ने अभियोगी दुर्गाबाई की कोई मारपीट की थी।

22. ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण गुड्डीबाई और विनीताबाई को धारा 323/34 ,324/34 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु सिद्धदोष घोषित किये जाने में और दंडाज्ञा अधिरोपित किये जाने में विधिक त्रुटि

कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से उक्त सीमा तक अपास्त कर अभियुक्तगण गुड्डीबाई और विनीताबाई को धारा 324/34 एवं 323/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

23. अभियोगी दुर्गाबाई का अभिकथन अभियुक्त त्रिलोक द्वारा उसे कुल्हाड़ी से सिर में बांयी तरफ चोट पहुंचाने और अभियुक्त जुगराम द्वारा उसे लाठी से पैर व पीठ में उपहति कारित किये जाने के संबंध में अभियुक्त जुगराम के कृत्य के विषय में साक्षी मिथलेश यादव जो कि दुर्गाबाई की बेटी है और रैनाबाई जो दुर्गाबाई की सास है उदल सिंह जो कि दुर्गाबाई का पुत्र है कोई अभिकथन मुख्य परीक्षण में अभियुक्त जुगराम के आपराधिक कृत्य विषयक अभिकथित नहीं करते। यहां तक कि स्वतंत्र साक्षीगण ज्ञानसिंह अ.सा.7 और रामचरण अ.सा.8 भी अभियोगी के समर्थनकारी अभिकथन कथित नहीं करते। अभियोगी का चिकित्सा प्रवितेदन प्रदर्श पी 3 दुर्गा बाई के एक कटा हुआ घाव, एक खरौंच और पांच नीलगू का विद्यमान होना प्रकट करता है। इनसाइज वुंड किसी धारदार आयुध से बांये तरफ कपाल पर कारित हुआ है और इसी स्थल पर त्रिलोक द्वारा कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाया जाना अभिकथित करती है। खरौंच भी कपाल पर है और नीलगू के निशान दाहिने गाल, दाहिनी अग्रभुजा, पीठ का मध्य एवं बांये घुटने के मध्य तथा गर्दन के पीछे मौजूद रहे हैं और यह चोटें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के तथ्यानुसार जुगराम द्वारा लाठी से मारपीट कर बांये घुटने के पास, दाहिने कुल्हे में नीचे व सिर में पहुंचाना प्रकट करती है।

24. अर्थात् त्रिलोक और जुगराम द्वारा एकसाथ कुल्हाड़ी और लाठी से दुर्गाबाई को उपहति कारित करने का तथ्य प्रकट नहीं होकर अलग अलग रूप से उपहतियां कारित करने का तथ्य इस परिस्थिति को भी अभिलेख पर अभियुक्तगण के मध्य उनके आचरण से दर्शित तत्काल उपजे सामान्य आशय की विद्यमानता को भी प्रमाणित नहीं करता है।

25. अभियोगी के प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता कि यह चोटें उसने स्वयं अपने शरीर पर कारित कर ली थी अथवा अभियोगी की त्रुटि से ही यह चोटें उसके शरीर पर कारित हो गयी थीं। ऐसी स्थिति में अभियोगी के शरीर पर चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 में अभिलिखित उपहतियां अभियुक्त त्रिलोक एवं जुगराम के ही आपराधिक कृत्य का परिणाम होना प्रकट हो रहा है और चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के तथ्य इस स्थिति को प्रकट नहीं कर रहे हैं कि त्रिलोक और जुगराम एक साथ मौके पर कुल्हाड़ी या लाठी धारित कर आये तब यह स्थिति अभियुक्तगण के मध्य सामान्य आशय की विद्यमानता को प्रकट करने वाली स्थिति भी नहीं है।

26. अभियुक्तगण के मध्य प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के तथ्य के प्रश्न के संबंध में सामान्य आशय की विद्यमानता निम्नांकित तथ्यों के अभाव में प्रकट नहीं

होती कि—

1. तथ्य जो प्रकट करें कि, मौके पर समस्त अभियुक्तगण प्रश्नगत अपराध कारित करने हेतु ऐसे परस्पर सक्रिय सहयोग की अवस्था में थे जिससे अन्य अभियुक्त द्वारा उस अपराध का कारित किया जाना सुकुर हो सके या
2. मौके पर अभियुक्तगण का आचरण या हावभाव यह दर्शित करता हो, कि, वे सामान्य आशय के अधीन अपराध को कारित करने हेतु परस्पर मस्तिष्क के मिलन द्वारा संगमत हो चुके हैं।

27. उक्त तथ्यों के संबंध में न्यायदृष्टांत वीरेन्द्र कुमार घोष बनाम किंग इम्परर अर्थात् “शंकरीटोला मर्डर केस और महबूबशाह बनाम किंग इम्परर अर्थात् सिंधू नदी का मामला” में प्री काउंसिल ने सामान्य आशय की विद्यमानता हेतु उक्त परिस्थितियों को विधि निर्देशित किया है और अभियुक्तगण का कृत्य उक्त विधिक दिशा निर्देश के अधीन सामान्य आशय को निर्मित कर उसे अग्रसर किये जाने के कृत्य के रूप में स्थापित होता हो, वहां ऐसी स्थिति में अभियुक्त त्रिलोक का कृत्य अभियोगी दुर्गाबाई को कारित उपहति विषयक धारा 324 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध रह जाता है और अभियुक्त जुगराज का कृत्य धारा 323 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध ही रहा जाता है और ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त त्रिलोक को धारा 323/34 भादवि तथा अभियुक्त जुगराज को धारा 324/34 भादवि के आरोप हेतु सिद्धदोष घोषित कर दंडाज्ञा अधिरोपित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जिसे परिमार्जित कर उक्त दोषसिद्धि को अपास्त कर अभियुक्त त्रिलोक को धारा 324 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध हेतु सिद्धदोष एवं अभियुक्त जुगराज को धारा 323 भादवि के अपराध हेतु सिद्धदोष घोषित किया जाता है।

अवधारणीय प्रश्न कमाक 2 :-

28. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर उन्मुक्त नहीं किये जाने के संबंध में पर्याप्त कारण विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किये हैं, जिनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत प्रकट नहीं होने से अभियुक्त त्रिलोक को धारा 324 भादवि के सिद्धदोष आरोप हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2000/— रुपये के अर्थदंड से तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है तथा अभियुक्त जुगराज को धारा 323 भादवि के सिद्धदोष आरोप हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 1000/—“एक हजार रुपये” के अर्थदण्ड से एवं अर्थदंड के व्यतिक्रम में 07 दिवस के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

29. अभियुक्तगण द्वारा जमा कराये गये अर्थदण्ड में से आहत दुर्गाबाई को 500/—रुपये प्रतिकर अंतर्गत धारा 357—1 द.प्र.सं के अधीन दिया जाये।

30. अभियुक्तगण विनीताबाई एवं गुड्डीबाई द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में जमा कराई गयी अर्थदंड की राशि उन्हें अपील अवधि पश्चात्, अपील न होने की दशा में वापस लौटायी जाये तथा अभियुक्तगण त्रिलोक एवं जुगराज द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी अर्थदंड की राशि उनके वर्तमान अर्थदण्ड की राशि में समायोजित की जावे।

31. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

32. तदनुसार अपील अंशतः स्वीकार की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 27.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)